न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 68/2021
GCMS NO. : 2021/118

–: वादी :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. चन्द्रदेव पुत्र भिरदाराम
जाति–जाट निवासी–खारचिया
तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.27/09/2021

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 14/03/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खारचिया पटवार हल्का कांवलिया कलां तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं अन्य सहहिस्सेदारों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 2.4326 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38 रकबा 1.7644 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 41 रकबा 1.3274 हैक्टेयर की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी अपने हिस्से माफिक रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी में वादी का तत्कालीन आर.आई व पटवारी ने म्युटेशन पारित करते समय सही नाम चन्द्रदेव की जगह चन्दाराम इन्द्राज कर दिया जो गलत एन्ट्री है जबकि वादी का सही नाम चन्द्रदेव है तथा सभी सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक अकाउन्ट में वादी का सही नाम चन्द्रदेव इन्द्राज है। इसलिए उक्त अशुद्धि/त्रुटि को दुरुस्त करवाने हेतु वादी की ओर से यह वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी के घोषणा का पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी जिसमें कि वादी का नाम गलत इन्द्राज हो जाने से वादी को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है जिसमें वादी अपने खातेदारी भूमि में ऋण लेने, बिजली कनेक्शन लेने या अन्य कई प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित रहना पड रहा है। जिस कारण से वादी को हमेशा समस्याओं का सामना करना पड रहा है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम चन्द्रदेव ही है। दिनांक 26/08/2021 को वादी द्वारा अपनी आराजी में ऋण लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तब उसे जानकारी हुई कि वादपत्र में वर्णित आराजी में उसका नाम गलत इन्द्राज है तब वादी ने प्रतिवादी के समक्ष एक प्रार्थनापत्र बाबत् नाम दुरुस्ती का पेश किया तो प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं वादी को हिदायत दी कि वह सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

ही नाम दुरूस्त करवावें तब वादी ने अपनी समस्त राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की और उसमें देखा तब पाया वादपत्र में वर्णित आराजी में उसका नाम गलत इन्द्राज है इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 26/08/2021 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने एवं उसमें गलत नाम का इन्द्राज होने की जानकारी होने पर प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम खारचिया तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किये गये। प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि सरहद मौजा खारचिया पटवार मण्डल कांवलिया कलां के खसरा नम्बर 24, 38, 41 में सहखातेदार के तौर पर चन्द्राराम पुत्र भिरदाराम दर्ज है। वादी का इन्द्राज जरिए नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। वादपत्र के पैरा संख्या 3,4 व 8 स्वीकार है। वादी का सही नाम चन्द्राराम के स्थान पर चन्द्रदेव करना उचित है। वादपत्र के पैरा संख्या 6 व 7 कानूनी बिन्दू है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पटवारी एवं भू.अ.नि. हल्का की जॉच रिपोर्ट एवं मजमा-ए-आम शिविर में पुष्टि के आधार पर 'चन्दाराम पुत्र भिरदाराम' के स्थान पर 'चन्द्रदेव पुत्र भिरदाराम' शुद्धि किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। ग्राम खारचिया की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 24 रकबा 2.4362 हैक्टेयर एवं जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खसरा नम्बर 38 रकबा 1.7644 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 41 रकबा 1.3274 हैक्टेयर में 'चन्दाराम पुत्र भिरदाराम' नाम से सह-खातेदार के रूप में प्रविष्टि दर्ज है। वादी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया। वादी चन्द्रदेव के साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम चन्द्रदेव है ना कि चन्दाराम। वादी ने यह कथन किया कि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज चन्द्रदेव पुत्र [illegible] के नाम से है तथा जमाबन्दी संवत् 2076-2079 एवं 2074-2077 में [illegible] पुत्र भिरदाराम नाम दर्ज होने से उसे भारी परेशानि[illegible] प्रदर्श दस्तावेज प्रदर्श-3ए (आधार कार्ड), प्रदर्श-4ए (निर्वाचन आ[illegible] पहचान-पत्र), प्रदर्श-5ए (गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 16:53:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कनेक्शन डायरी) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम चन्द्रदेव है। तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया है कि मजमा–ए–आम शिविर में पुष्टि के एवं हल्का पटवारी व भू.अ.नि. हल्का की जाँच रिपोर्ट अनुसार वादी का सही नाम 'चन्द्रदेव पुत्र भिरदाराम' है न कि 'चन्दाराम पुत्र भिरदाराम'। उक्त जवाब दावा में यह अंकित किया गया है कि मजमा–ए–आम जांच के आधार पर 'चन्द्रदेव पुत्र भिरदाराम' शुद्ध किया जाना उचित है तथा तहसीलदार जैतारण के द्वारा वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में वादी का नाम 'चन्दाराम' के स्थान पर 'चन्द्रदेव' दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाबदावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम 'चन्द्रदेव' है न कि 'चन्दाराम'। भू–अभिलेख में दर्ज 'चन्दाराम' वस्तुतः एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खारचिया पटवार हल्का कांवलिया कलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 24 रकबा 2.4326 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38 रकबा 1.7644 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 41 रकबा 1.3274 हैक्टेयर में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''**चन्दाराम**'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***''चन्द्रदेव''*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादी :–

1. चन्द्रदेव पुत्र भिरदाराम
जाति–जाट निवासी–खारचिया तहसील
जैतारण जिला पाली।

2. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 68/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खारचिया पटवार हल्का कांवलिया कलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 24 रकबा 2.4326 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 38 रकबा 1.7644 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 41 रकबा 1.3274 हैक्टेयर में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''चन्दाराम'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर वादी के सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ''चन्द्रदेव'' दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2022 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	1.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुतफरिक	0.00
मिजानः–	4.00	[illegible]जान	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल [illegible] चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:36 IST
Reason: SelfAttested